(22)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4293–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 60/अपील/2007–08.

1– धनसिंह आत्मज लक्ष्मण सिंह राजपूत
निवासी ग्राम नकवाड़ा
तहसील व जिला हरदा
2– नारायण सिंह आत्मज धन सिंह राजपूत
निवासी ग्राम विष्णुपुरी कॉलौनी, हरदा
जिला हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– राधेश्याम आत्मज लक्ष्मण राजपूत
2– रामनिवास आत्मज राधेश्याम राजपूत
3– राजेन्द्र सिंह आत्मज राधेश्याम राजपूत
निवासीगण ग्राम नकवाड़ा
तहसील व जिला हरदा .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ0पी0 सकरगाये, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नकवाड़ा की भूमि सर्वे कमांक 3/1, 78/1, 154 एवं 157 रकबा 26.39 एकड़ एवं सर्वे कमांक 33/1 रकबा 2.78 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में पारूबाई के नाम दर्ज है । पारूबाई की मृत्यु दिनांक 15–7–2005 को हो गई है एवं आवेदक कमांक 1 व अनावेदक कमांक 1 पारूबाई के पुत्र हैं, अतः वारिसाना नामांतरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक

86/अ–6/2004–05 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरा अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की मांग की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–12–06 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 2 एवं 3 का नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–6–2007 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–11–2014 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व. पारूबाई द्वारा कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पारूबाई के नाम अकेले दर्ज नहीं थी बल्कि आवेदकगण सहित अनावेदक कमांक 1 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमियां अकेले पारूबाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना मानकर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि में से 4 एकड़ भूमि शासन द्वारा अधिग्रहीत की गई थी, जिसका मुआवजा सभी सहखातेदारों को प्राप्त हुआ है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत वसीयतनामा को सिद्ध किये बिना आदेश पारित किया गया है, इस तथ्य पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) पारूबाई की मृत्यु के पूर्व सर्वे कमांक 3/1 एवं 28/1 पर उनका नाम दर्ज रहा है, और पारूबाई मृत्यु पर्यंत अपने पुत्र राधेश्याम के परिवार के साथ रही है ।

(2) पारूबाई द्वारा बिना किसी दबाव के स्वस्थ मानसिक स्थिति में दिनांक 27–6–2005 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है, और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(3) स्व. पारूबाई द्वारा उप पंजीयक के समक्ष पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, जो कि संदेह से परे है, इसलिए तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित हैं ।

तर्कों के समर्थन में 2007 (IV) एम.पी.एल.जे. 352 (S.C.), 2006 (III) एम.पी.एल.जे. 586, 2008 (I) एम.पी.एल.जे. 425, 2003 आर.एन. 399 (H.C.) एवं 2003 आर.एन. 383 (H.C.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 2 व 3 का प्रश्नाधीन भूमियों पर नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमियों में से कुछ भूमियां आवेदक कमांक 1 एवं अनावेदक कमांक 1 जो कि पारूबाई के पुत्र हैं, के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा के आधार पर आदेश पारित करने में इस तथ्यात्मक स्थिति की जांच नहीं की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है अथवा पारूबाई की स्वअर्जित भूमि है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या वास्तव में पारूबाई के नाम राजस्व अभिलेखों में कितनी भूमि दर्ज है, और कितनी भूमि की

वसीयतनामा निष्पादित की गई है, और क्या प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक भूमि हैं अथवा पारूबाई की स्वअर्जित भूमि हैं । तद्नुसार उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए विधिसंगत आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2014, अनुविभागीय अधिकारी, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–2007 एवं तहसीलदार, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–06 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर